



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102023-249238  
CG-DL-E-07102023-249238

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2023/ आश्विन 14, 1945

No. 572]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2023/ASVINA 14, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 725(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 6 के उपनियम (6) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) रियायत करार के अनुसार यथा अधिसूचित फीस, रियायत अवधि के अंत तक उद्वाह्य होगी और रियायत करार के पूरा होने के पश्चात्, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या उपमार्ग के ऐसे खंड के हस्तांतरण की तारीख पर इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित की जाने वाली फीस नियम 4 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस के अनुसार केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा संग्रहीत की जाएगी

परंतु लोक वित्तपोषित परियोजना के संबंध में, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या उपमार्ग के ऐसे खंड के लिए इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित की गई उद्वाह्य फीस का शाश्वतता में संग्रहीत होना जारी रहेगा”।

[फा. सं. एच.25016/01/2023-टोल/ई-226274]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः-** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 467 (अ), तारीख 24 जून, 2022 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2023

**G.S.R. 725(E).**—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely: -

1. (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 6, in sub-rule (6), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) The fee as notified as per Concession Agreement shall be leviable till the end of the concession period and after the concession period is over, the fee shall be collected by the Central Government or the executing authority as per the fee specified in sub-rule (2) of rule 4 on the date of transfer of such section of the National Highway, bridge, tunnel or bypass, as the case may be, to be revised annually in accordance with these rules:

Provided that in respect of a public funded project, the fee leviable shall continue to be collected in perpetuity for such section of the National Highway, bridge, tunnel or bypass, as the case may be, to be revised annually in accordance with these rules”.

[F. No. H-25016/01/2023-Toll/E-226274]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide notification number G.S.R. 838 (E), dated the 5<sup>th</sup> December, 2008 and lastly amended vide number G.S.R. 467 (E), dated the 24<sup>th</sup> June, 2022.